



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-12102022-239593
CG-GJ-E-12102022-239593

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 509]
No. 509]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 12, 2022/आश्विन 20, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 12, 2022/ASVINA 20, 1944

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 11 अक्टूबर, 2022

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसरों और अपतटीय शिक्षा केंद्रों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2022.

सं. आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी027.—वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 की उप-धारा (1) और अंतरराष्ट्रीय की धारा 13 की उप-धारा (1) के साथ पठित, धारा 28 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

उद्देश्य

- विदेशी विश्वविद्यालयों को गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (इसके बाद गिफ्ट आईएफएससी के रूप में संदर्भित) में या तो स्व-संचालन आधार पर, या प्राधिकरण द्वारा अनुमत किसी अन्य रूप में अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने में सक्षम बनाना।
- गिफ्ट आईएफएससी में अपतटीय शैक्षिक केंद्र स्थापित करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालय से भिन्न विदेशी शैक्षणिक संस्थान को सक्षम बनाना।
- गिफ्ट आईएफएससी को विशिष्ट विषयों में भारतीय और विदेशी दोनों विद्यार्थियों के लिए अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक केंद्र बनाना।

- घ. वित्त, प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों में उच्च-स्तरीय मानव संसाधन प्रदान करने के लिए बैंकिंग, बीमा, पूंजी बाजार, निधि प्रबंधन, फिनटेक, दीर्घकालीन वित्त, सतत वित्त, क्वांटम कंप्यूटिंग, आदि में अनुसंधान प्रोत्साहित करना।
- ङ. विशिष्ट विषयों और संबंधित क्षेत्रों में अधिशासी शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
- च. गिफ्ट आईएफएससी में विश्व स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित करना।
- छ. गिफ्ट आईएफएससी में ऐसे पाठ्यक्रमों का अनुसरण करने वाले विद्यार्थी समुदाय के हितों की रक्षा करना।
- ज. अनुमत विषय क्षेत्रों और अधिशासी शिक्षा कार्यक्रमों में अनुसंधान कार्यक्रमों सहित अन्य पाठ्यक्रमों, जो विदेशी विश्वविद्यालय / विदेशी शैक्षिक संस्थान के संबंधित गृह क्षेत्राधिकार में मान्यता प्राप्त है, और गिफ्ट आईएफएससी में पेश करने के लिए प्राधिकरण द्वारा विधिवत रूप से मान्यता प्राप्त है की पेशकश करने के लिए उनके पंजीकरण के लिए उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी प्रक्रिया लागू करना।

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:

- (1) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, (अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसरों और अपतटीय शिक्षा केंद्रों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2022 कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. प्रयोज्यता:

ये नियम इन विनियमों के अधीन पंजीकरण की मांग करने वाले विदेशी विश्वविद्यालय या विदेशी शैक्षिक संस्थान के क्रमशः अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसर ("आईबीसी") या अपतटीय शैक्षिक केंद्र ("ओईसी") पर लागू होंगे।

3. परिभाषाएँ:

(1) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- i. "अधिनियम" का अभिप्राय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 होगा;
- ii. "प्राधिकरण" का अभिप्राय अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण होगा;
- iii. "विदेशी शैक्षणिक संस्थान" का अभिप्राय भारत के बाहर स्थित ऐसा शिक्षा संस्थान होगा, जो विश्वविद्यालय नहीं है, और अपने गृह क्षेत्राधिकार के भीतर और बाहर अनुमत विषय क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यक्रमों सहित पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए विधिवत रूप से अधिकृत है;
- iv. "विदेशी विश्वविद्यालय" का अभिप्राय भारत के बाहर स्थापित ऐसा विश्वविद्यालय होगा, जिसे अपने गृह क्षेत्राधिकार के भीतर और बाहर अनुमत विषय क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यक्रमों सहित पाठ्यक्रमों के लिए डिग्री प्रदान करने के लिए विधिवत मान्यता प्राप्त है;
- v. "अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसर" या "आईबीसी" का अभिप्राय विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा शाखा के रूप में स्व-संचालन आधार पर स्थापित परिसर, या कोई अन्य रूप होगा, जिसे प्राधिकरण द्वारा अनुमत विषय क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यक्रमों सहित ऐसे पाठ्यक्रम, जो अपने संबंधित गृह क्षेत्राधिकार में प्रासंगिक ढांचे के अधीन विधिवत रूप से मान्यता प्राप्त हैं, और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत हैं, को गिफ्ट आईएफएससी में प्रदान करने के उद्देश्य से अनुमति दी जा सकती है;
- vi. "अपतटीय शिक्षा केंद्र" या "ओईसी" का अभिप्राय विदेशी शैक्षणिक संस्थान (विदेशी विश्वविद्यालय से भिन्न) द्वारा शाखा के रूप में स्व-संचालन आधार पर स्थापित परिसर, या कोई अन्य रूप होगा, जिसे प्राधिकरण द्वारा अनुमत विषय क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यक्रमों सहित ऐसे पाठ्यक्रम, जो अपने संबंधित गृह क्षेत्राधिकार में प्रासंगिक ढांचे के अधीन विधिवत रूप से मान्यता प्राप्त हैं, और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत हैं, को गिफ्ट आईएफएससी में प्रदान करने के उद्देश्य से अनुमति दी जा सकती है;
- vii. "मूल एंटिटी या आवेदक" का अभिप्राय विदेशी विश्वविद्यालय या विदेशी शैक्षणिक संस्थान होगा जो गिफ्ट आईएफएससी में आईबीसी या ओईसी, जैसा भी मामला हो, स्थापित और संचालित करने का इच्छुक है।

viii. "क्यूएस विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग" क्यूएस क्वाड्रेलेली साइमंड्स लिमिटेड द्वारा विश्वविद्यालय रैंकिंग के वार्षिक प्रकाशन से संदर्भित है और इन नियमों के उद्देश्य के लिए, केवल विश्वविद्यालय की 'वैश्विक समग्र रैंकिंग' और / या 'विषयक रैंकिंग' पर ही विचार किया जाएगा।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द 'आईबीसी या ओईसी' को "आईबीसी या ओईसी, जैसा भी मामला हो" माना जाएगा।

(3) इन विनियमों में प्रयोग किए गए और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों, लेकिन अधिनियम की पहली अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम या अधिनियमों में, या इसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम या विनियमों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उन्हें उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों या कोई वैधानिक संशोधन या उनका पुनः अधिनियमन, जैसा भी मामला हो, में दिया गया है।

4. अनुमत विषय क्षेत्र

गिफ्ट आईएफएससी में वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में अनुसंधान कार्यक्रमों सहित पाठ्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी।

5. पात्रता:

1. यदि आवेदक विदेशी विश्वविद्यालय है, तो उसे नवीनतम क्यूएस विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग में वैश्विक समग्र रैंकिंग और / या विषय रैंकिंग में शीर्ष 500 में स्थान प्राप्त किया होना चाहिए।
2. विदेशी शैक्षणिक संस्थान के मामले में, आवेदक अपने गृह क्षेत्राधिकार में प्रतिष्ठित संस्थान होना चाहिए।
3. आवेदक, गिफ्ट आईएफएससी में प्रस्तावित कार्यकलापों की निरंतरता को स्थापित करने और सुनिश्चित करने के लिए अपनी वित्तीय क्षमता के बारे में प्राधिकरण को संतुष्ट करेगा।
4. आवेदक अनुमत विषय क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यक्रमों सहित पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए उपयुक्त अवसंरचनात्मक ढांचा और सुविधाएं स्थापित करने का वचन देगा।

6. पंजीकरण के लिए आवेदन:

1. इन विनियमों में निर्दिष्ट पात्रता शर्तों को पूरा करने वाला आवेदक, अनुमत विषय क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यक्रमों या / और अधिशासी शिक्षा कार्यक्रमों सहित पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए पंजीकरण के अनुदान के लिए निर्दिष्ट प्रारूप में प्राधिकरण को आवेदन करेगा।
2. आवेदन के साथ निम्नांकित संलग्न करना होगा-
 - क. आईबीसी या ओईसी की स्थापना का समाधान करते हुए, आवेदक के न्यासी बोर्ड, सीनेट या अन्य शासी निकाय, चाहे किसी भी नाम से हो, द्वारा पारित प्रस्ताव;
 - ख. अवसंरचनात्मक सुविधाओं, अनुदेश के लिए उपलब्ध सुविधाओं, संकाय, निर्धारित शुल्क, शैक्षणिक योजना, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और यथा-निर्दिष्ट अन्य प्रासंगिक विवरणों के साथ-साथ, न्यूनतम पांच साल की अवधि के लिए संचालित आवश्यक निधियों के बारे में विवरण;
 - ग. किसी भी कारण से पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के बंद होने की स्थिति में विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का विवरण;
 - घ. आवेदक द्वारा यह वचनपत्र कि गिफ्ट आईएफएससी में विद्यार्थियों को जारी की गई डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र मूल एंटीटी के गृह क्षेत्राधिकार में मान्यता प्राप्त होगी और इसे मूल एंटीटी द्वारा अपने गृह क्षेत्राधिकार में संबंधित डिग्री, डिप्लोमा या प्रदान किए गए या जारी किए गए, जैसा भी मामला हो, प्रमाणपत्र के समकक्ष माना जाएगा।
 - ङ. आवेदक के गृह क्षेत्राधिकार में किसी मान्यता प्राप्त गुणवत्ता आश्वासन अभिकरण से नवीनतम गुणवत्ता आश्वासन लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

7. पंजीकरण प्रदान करने की प्रक्रिया:

1. इन विनियमों के अधीन प्राप्त आवेदन को मूल्यांकन और सिफारिशों के लिए गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी कंपनी लिमिटेड द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति को भेजा जाएगा।

2. प्राधिकरण अपनी संतुष्टि पर, विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों के आधार पर, पहली बार में, सभी आवश्यक अवसंरचनात्मक ढांचे को स्थापित करने और आवश्यक जनशक्ति आदि की नियुक्ति के लिए आवेदक को एक सौ अस्सी (180) दिनों का समय देते हुए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर सकता है।

बशर्ते कि यदि कोई आवेदक एक सौ अस्सी (180) दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवश्यक अवसंरचनात्मक संरचना स्थापित करने और/या आवश्यक जनशक्ति आदि को नियुक्त करने में सक्षम नहीं होता है, तो वह ऐसी अवधि की समाप्ति से पहले, लेकिन कम से कम सात (7) दिन पहले, प्राधिकरण के अध्यक्ष को समय विस्तार के लिए आवेदन करेगा।

- 3 आवेदन प्राप्त होने पर, यदि अध्यक्ष विलंब के कारणों से संतुष्ट हो, तो वह अवधि को बढ़ा सकता है जो नब्बे (90) दिनों से अधिक नहीं होगी;

बशर्ते कि उप-विनियम (3) में निर्दिष्ट अवधि की तारीख से आगे के विस्तार के लिए आवेदन पर विचार प्राधिकरण के बोर्ड के अनुमोदन से ही किया जाएगा।

- 4 प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक पंजीकरण प्रदान करने के लिए सभी शर्तों को पूरा करता है, शर्तों के साथ या शर्तों के बिना पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी कर सकता है।
- 5 एक बार दिया गया पंजीकरण, पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और बिना किसी अतिरिक्त शर्त (शर्तों) के, जैसा प्राधिकरण उचित समझे, एक बार में पांच वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीकरणीय होगा।
- 6 प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए और पंजीकृत इकाई को उचित अवसर देने के बाद पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है, या इसके नवीनीकरण से इनकार किया जा सकता है।

8. पाठ्यक्रम की मान्यता:

- 1 गिफ्ट आईएफएससी में पंजीकृत एंटीटी द्वारा संचालित कोई भी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम सभी तरह से अपने गृह क्षेत्राधिकार में मूल संस्था द्वारा संचालित पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के समान होगा और सीधे मूल एंटीटी द्वारा उसी तरह से जैसे वह अपने विद्यार्थियों को अपने गृह क्षेत्राधिकार में उसी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के लिए प्रदान करता है, उसी तरह से आईबीसी या ओईसी के विद्यार्थियों को समान डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

बशर्ते कि यदि मूल इकाई द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रभावित परिवर्तन के कारण इसकी आवश्यकता होगी तो आईबीसी या ओईसी प्राधिकरण को पूर्व सूचना देते हुए, अनुमोदित पाठ्यक्रम या सामग्री में संशोधन कर सकते हैं।

बशर्ते यह भी कि मूल संस्था द्वारा अपने गृह क्षेत्राधिकार में पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रम या विषयवस्तु में किसी भी प्रकार का संशोधन मूल एंटीटी के शैक्षणिक परिषद, सिंडिकेट या किसी अन्य सक्षम निकाय, चाहे वह जिस भी नाम से ज्ञात हो, के पूर्वानुमोदन से किया जाएगा, और यह प्राधिकरण को सूचित किए जाने के बाद ही प्रभावी होगा।

- 2 गिफ्ट आईएफएससी में आयोजित पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों के संबंध में जारी डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र को उसी मान्यता और स्थिति का आनंद मिलेगा जैसे कि वे अपने गृह क्षेत्राधिकार में मूल इकाई द्वारा संचालित किए गए थे।

9. गैर-अनुमत कार्यकलाप:

आईबीसी या ओईसी अपने गृह क्षेत्राधिकार या गिफ्ट आईएफएससी के बाहर किसी अन्य क्षेत्राधिकार में अपने कार्यक्रमों के लिए प्रचार कार्यकलाप के प्रयोजनों के लिए मूल एंटीटी के प्रतिनिधि कार्यालय के रूप में कार्य नहीं करेगा।

10. अन्य शर्तें:

1. आईबीसी या ओईसी आवेदक का नाम या मिलते-जुलते नाम का उपयोग करेगा, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा अन्यथा अनुमति न दी गई हो।
2. आईबीसी या ओईसी, गिफ्ट आईएफएससी में प्राधिकरण को मूल एंटीटी और उसके आईबीसी या ओईसी के बीच समझौता-ज्ञापन की प्रति प्रदान करेगा।

3. आईबीसी या ओईसी द्वारा अपनाई जाने वाली विद्यार्थी और संकाय चयन योजना और प्रक्रिया आवेदक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के समान होगी और इसमें किसी भी छूट या विचलन के लिए पर्याप्त औचित्य के अध्यक्षीन प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
4. विद्यार्थी शिकायत और परिवाद निवारण के संबंध में आईबीसी या ओईसी की नीतियां और आंतरिक नियम आवेदक की अनुमोदित नीति के अनुसार होंगे।
5. आईबीसी या ओईसी यथा-निर्दिष्ट गुणवत्ता आश्वासन लेखापरीक्षा कराएगा, और पंजीकरण के नवीनीकरण के समय प्राधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
6. आईबीसी या ओईसी द्वारा संचालित सभी कार्यक्रमों के अभियान, सोच और उद्देश्यों के अनुसार होंगे।
7. आईबीसी या ओईसी द्वारा किए गए सभी विपणन संदेश या विज्ञापन प्रत्यायन की भूमिकाओं और उद्देश्य के सटीक उल्लेख सहित तथ्यात्मक होंगे और भ्रामक या अतिरंजित नहीं होंगे।
8. आईबीसी या ओईसी प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट विवाद समाधान नीति का पालन करेगा।

11. व्यतिक्रम के मामले में कार्रवाई:

इन विनियमों का उल्लंघन होने पर, प्राधिकरण पंजीकरण का निलंबन, निरस्तीकरण और/या जुर्माना सहित समुचित प्रवर्तन कार्रवाई कर सकता है।

12. निरीक्षण:

1. प्राधिकरण को आईबीसी या ओईसी के अवसंरचनात्मक ढांचे, गुणवत्ता और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए, सैद्धांतिक अनुमोदन के बाद और पंजीकरण के अनुदान से पहले, हर समय निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
2. निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकरण आईबीसी या ओईसी का निरीक्षण करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को 'निरीक्षण प्राधिकारी' नियुक्त कर सकता है।
3. निरीक्षण प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों या व्यावसायिकों, जैसा वह उचित समझे, की मदद ले सकता है और आईबीसी या ओईसी का यह कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षण प्राधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करे।

13. विद्यार्थियों के हितों की रक्षा:

1. कोई भी आईबीसी या ओईसी प्राधिकरण के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना किसी भी कारण से अनुमत विषय क्षेत्रों में अपने किसी भी अनुमोदित पाठ्यक्रम या कार्यक्रम को पूर्ण या आंशिक रूप से बंद, निलंबित या बंद नहीं करेगा।
2. किसी भी कारण से किसी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के बाधित होने या बंद होने की स्थिति में, प्रभावित विद्यार्थियों को विकल्प प्रदान करना मूल एंटीटी का उत्तरदायित्व होगा, जिसमें इसके द्वारा संचालित पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के लिए पुनः आवंटन शामिल है।

14. व्यापार के संचालन के लिए मुद्रा:

आईबीसी या ओईसी द्वारा किए गए सभी लेनदेन केवल मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में होंगे।

बशर्ते कि आईबीसी या ओईसी एक पृथक विशेष अनिवासी रुपया खाता बनाकर अपने प्रशासनिक खर्चों को भारतीय रुपयों में चुका सकता है।

15. खातों का रखरखाव और वार्षिक रिपोर्ट:

1. आईबीसी या ओईसी ऐसे रिकॉर्ड और दस्तावेजों को बनाए रखेगा, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
2. सभी खातों की बहियां ऐसी विदेशी मुद्रा में रखी जाएंगी, जैसा कि आवेदन करते समय घोषित किया जा सकता है।

3. आईबीसी या ओईसी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें दखिल किए गए छात्रों की संख्या, आयोजित कार्यक्रम, एकत्र किया गया कुल शुल्क, मूल एंटीटी को प्रत्यावर्तित राशि, किया गया निवेश, डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण पत्र से सम्मानित विद्यार्थियों की संख्या आदि का विवरण दिया जाएगा।

16. जमा और शुल्क:

1. प्राधिकरण, आईबीसी या ओईसी के संचालन के पैमाने पर विचार करने के बाद, उनके लिए एक ऐसी राशि, जो वह उचित समझे, जमा करवाना अनिवार्य कर सकता है।
2. अनुमत कार्यकलापों को करने का इच्छुक आईबीसी या ओईसी, प्राधिकरण को निम्नलिखित शुल्क का भुगतान करेगा:
 - (i) आवेदन शुल्क: यूएस\$ 1,000/- (एक बार)
 - (ii) प्रारंभिक पंजीकरण शुल्क: यूएस\$25,000/- (एक बार)
 - (iii) वार्षिक शुल्क: यूएस\$ 10,000/- (दूसरे वर्ष के बाद आगे)
 - (iv) छूट की मांग करने संबंधी आवेदन के लिए प्रक्रिया शुल्क: US\$10,000/-

17. विविध:

1. किसी अपतटीय क्षेत्राधिकार में पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों के संचालन के लिए अपने गृह क्षेत्राधिकार में मूल एंटीटी के सभी दायित्वों का अनुपालन आईबीसी या ओईसी, जैसा भी मामला हो, द्वारा किया जाएगा।
2. मूल एंटीटी को लाभ, यदि कोई हो, को बिना किसी प्रतिबंध के प्रत्यावर्तित करने की अनुमति होगी।

18. कठिनाइयों को दूर करने और विनियमों के कठोर प्रवर्तन को शिथिल करने की शक्ति:

1. प्राधिकरण, इन विनियमों के उपबंधों के अनुप्रयोग या व्याख्या में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए, मार्गदर्शी नोट्स या परिपत्रों के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।
2. प्राधिकरण, उपर्युक्त विनियम 16(2)(iv) में विहित अप्रतिदेय प्रक्रिया शुल्क के साथ प्राप्त आवेदन पर, अभिलेखित किए जाने वाले कारणों से, इन विनियमों के किसी भी उपबंध के कठोर प्रवर्तन को शिथिल कर सकता है।

इनजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष, आईएफएससीए

[विज्ञापन-III/4/असा./331/2022-23]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 11th October, 2022

International Financial Services Centres Authority (Setting up and Operation of International Branch Campuses and Offshore Education Centres) Regulations, 2022.

No. IFSCA/2022-23/GN/REG027.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 28, read with sub-section (1) of Section 12 and sub-section (1) of Section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following Regulations, namely: -

Objectives

- a. To enable Foreign Universities to establish International Branch Campuses in GIFT International Financial Services Centre (hereinafter referred to as the GIFT IFSC) either on stand-alone basis, or in such other form as may be permitted by the Authority.
- b. To enable a Foreign Educational Institution other than a Foreign University to establish an Offshore Educational Centre in the GIFT IFSC.

- c. To make the GIFT IFSC an international educational centre catering to both Indian and foreign students in the specified disciplines.
- d. To encourage research in Banking, Insurance, Capital Market, Funds Management, FinTech, Longevity Finance, Sustainable Finance, Quantum Computing, etc., to provide high-end human resources in finance, technology and related fields.
- e. To encourage executive education in the specified disciplines and related areas.
- f. To ensure world-class education in GIFT IFSC.
- g. To safeguard the interests of the student community pursuing such courses in GIFT IFSC.
- h. To put in place an objective and transparent process for registration of a Foreign University/ Foreign Educational Institution for offering courses including research programmes in the permissible subject areas and executive education programmes, that are accredited in their respective home jurisdiction, and duly recognized by the Authority for being offered in the GIFT IFSC.

1. Short title and commencement:

- (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority, (Setting up and Operation of International Branch Campuses and Offshore Education Centres) Regulations, 2022
- (2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Applicability:

These regulations shall be applicable to an International Branch Campus (“IBC”) or an Offshore Educational Centre (“OEC”) of a Foreign University or a Foreign Educational Institution respectively, seeking registration under these regulations.

3. Definitions:

- (1) For the purpose of these regulations unless the context otherwise requires:
 - (i) “Act” shall mean the International Financial Services Centres Authority Act, 2019;
 - (ii) “Authority” means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of section 4 of the Act;
 - (iii) “Foreign Educational Institution” shall mean an education institution outside India, which is not a university, and is duly authorized to offer courses including research programmes in the permissible subject areas, within and outside its home jurisdiction;
 - (iv) “Foreign University” shall mean a university established outside India which is duly accredited to award degree for courses including research programmes in the permissible subject areas, within and outside its home jurisdiction;
 - (v) “International Branch Campus” or “IBC” shall mean a campus set up as a branch by a Foreign University on stand-alone basis, or in such other form as may be permitted by the Authority in the GIFT IFSC for the purpose of delivering courses including research programmes in the permissible subject areas, that are duly accredited under the relevant framework in their respective home jurisdiction, and is registered with the Authority;
 - (vi) “Offshore Education Centre” or “OEC” shall mean a centre set up as a branch by a Foreign Educational Institution (other than a Foreign University) in the GIFT IFSC on stand-alone basis or in such other form as may be permitted by the Authority for the purpose of delivering courses including research programmes in the permissible subject areas, that are duly accredited under the relevant framework in their respective home jurisdiction, and is registered with the Authority;
 - (vii) “Parent Entity or Applicant” shall mean the Foreign University or a Foreign Educational Institution that intends to establish and operate an IBC or OEC, as the case may be, in the GIFT IFSC.

(viii) “QS world university ranking” refers to the annual publication of university rankings by QS Quacquarelli Symonds Ltd. and for the purpose of these regulations, only the University’s ‘global overall ranking’ and / or the ‘subject rankings’ shall be considered.

(2) The words ‘IBC or OEC’, used in these regulations, shall be construed as “IBC or OEC, as the case may be”.

(3) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or Acts mentioned in the First Schedule to the Act, or any rules or regulations made thereunder, shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

4. Permissible Subject Areas

Courses including research programmes in Financial Management, FinTech, Science, Technology, Engineering and Mathematics shall be permitted in GIFT IFSC.

5. Eligibility

- (1) In case the Applicant is a Foreign University, it should have secured a position within Top 500 in global overall ranking and / or subject ranking in the latest QS World Universities ranking.
- (2) In the case of Foreign Educational Institution, the Applicant should be a reputed Institution in its home jurisdiction.
- (3) The Applicant shall satisfy the Authority about its financial capability to establish and ensure the continuity of the proposed activities in GIFT IFSC.
- (4) The Applicant shall undertake to put in place suitable infrastructure and facilities to conduct the courses including research programmes in the permissible subject areas.

6. Application for Registration

- (1) An Applicant satisfying the eligibility conditions specified in these regulations, shall apply to the Authority, in the specified format, for the grant of registration to conduct the courses including research programmes or/and executive education programmes. in the permissible subject areas.
- (2) An Application shall be accompanied by-
 - a) a resolution passed by the Applicant’s Board of Trustees, Senate or other Governing Body, by whatever name called, resolving establishment of IBC or OEC;
 - b) details regarding infrastructural facilities, facilities available for instruction, faculty, prescribed fee, academic plan, courses, curricula and requisite funds to operate for a minimum period of five years, along with other relevant details as may be specified;
 - c) details of the alternative arrangements for students in the event of discontinuation of the course or program for any reason;
 - d) an undertaking by the Applicant declaring that the degrees, diplomas or certificates issued to the students in the GIFT IFSC shall be recognized in the home jurisdiction of the Parent Entity and shall be treated equivalent to the corresponding degrees, diplomas or certificates awarded or issued, as the case may be, by the Parent Entity in its home jurisdiction; and
 - e) the latest Quality Assurance Audit report from a recognized Quality Assurance Agency in the home jurisdiction of the Applicant.

7. Procedure for Grant of Registration

- (1) An application received under these regulations shall be referred to the Committee of Experts constituted by the Gujarat International Finance Tec City Company Limited for appraisal and recommendations.
- (2) Based on the recommendations of the Committee of Experts, the Authority may upon its satisfaction, at first instance, grant in-principle approval to the Applicant giving it one hundred and eighty (180) days’ time to set up all required infrastructure and engage necessary manpower etc.

Provided that if an applicant is not able to set up the required infrastructure and /or engage necessary manpower etc. within the specified period of one hundred and eighty (180) days, it may, before expiry of such period, but at least seven (7) days in advance, make an application, for extension of time, to the Chairperson of the Authority.

- (3) On receipt of the application, if satisfied with the reasons for delay, the Chairperson may extend the period for not more than Ninety (90) days;

Provided that an application for extension of date beyond the period referred in sub-regulation (3), shall be entertained only with the approval of the Board of the Authority.

- (4) The Authority on being satisfied that the applicant fulfills all the conditions for the grant of registration, may issue a Certificate of Registration with or without conditions.
- (5) The registration, once granted, shall be valid for a period of five years and be renewable for an additional period of five years at a time, with or without any additional condition(s), as the Authority may deem fit.
- (6) The registration may be cancelled, or renewal may be refused by the Authority, for reasons to be recorded in writing, after following due procedure and giving due opportunity to the registered entity.

8. Course Recognition:

- (1) Any course or programme conducted by a registered entity in the GIFT IFSC shall be identical in all respects with the course or programme conducted by the Parent Entity in its home jurisdiction and identical degree, diploma or certificate shall be conferred upon the students of the IBC or OEC directly by the Parent Entity in the same manner as it confers to its students for the same course or programme in its home jurisdiction.

Provided that IBC or OEC may make modifications in the approved course curriculum or content with prior intimation to the Authority, if the same is necessitated due to the change effected in the course offered by the Parent Entity.

Provided further that any modification in the course curriculum or content vis-à-vis course offered by the Parent Entity in its home jurisdiction shall be carried out with prior approval of academic council, syndicate or any other competent body, by whatever name called, of the Parent Entity and shall be effected only after intimation to the Authority.

- (2) The degree, diploma or certificate issued with respect to courses or programmes conducted in the GIFT IFSC shall enjoy the same recognition and status as if they were conducted by the Parent Entity in its home jurisdiction.

9. Non-Permissible Activities:

An IBC or OEC shall not act as representative office of the Parent Entity for the purposes of undertaking promotional activities for their programmes in their home jurisdiction or any other jurisdiction outside GIFT IFSC.

10. Other Conditions:

- (1) The IBC or OEC shall use the same or similar name as that of the Applicant, unless permitted otherwise by the Authority.
- (2) The IBC or OEC shall provide the Authority with a copy of the Memorandum of Understanding between the Parent Entity and its IBC or OEC, in the GIFT IFSC.
- (3) The student and faculty selection plan and process followed by the IBC or OEC shall be identical and similar to that of process followed by the Applicant and any relaxation or deviation from it shall require prior approval of the Authority, subject to adequate justification.
- (4) The policies and internal regulations of the IBC or OEC, in relation to the student complaint and grievance redressal shall be in accordance with the approved policy of the Applicant.
- (5) The IBC or an OEC shall undergo quality assurance audit as specified, and submit the report to the Authority at the time of renewal of registration.

- (6) All activities conducted by IBC or OEC shall be in accordance with the Applicant's mission, vision and objectives.
- (7) All marketing communications or advertisements placed by the IBC or OEC shall be factual with accurate mentions of the roles and purpose of accreditations and shall not be misleading or exaggerated.
- (8) The IBC or OEC shall adhere to dispute resolution policy as specified by the Authority.

11. Action in case of default

Violation of these regulations may attract appropriate enforcement action including suspension, cancellation of registration and/or imposition of penalty by the Authority.

12. Inspection

- (1) Authority shall have right to inspect at all times, including after the grant of *in-principle* approval and before the grant of registration, to ascertain the infrastructure, quality and suitability of the IBC or OEC.
- (2) For the purposes of the inspection, the Authority may appoint one or more persons as 'Inspecting Authority' to undertake the inspection of the IBC or OEC.
- (3) The Inspecting Authority may take help of such persons or professionals as he may deem fit and it shall be the duty of the IBC or OEC to extend full co-operation to the Inspecting Authority or persons authorised by him.

13. Safeguarding the interest of Students

- (1) No IBC or OEC shall wholly or partially discontinue, suspend or close any of its approved courses or programmes in the permissible subject areas for any reason without the prior written approval of the Authority.
- (2) In the eventuality of disruption or discontinuation of a course or programme for any reason, it shall be the responsibility of the Parent Entity to provide an alternative to the affected students, including reallocation to the course or programme conducted by it.

14. Currency for Conduct of Business:

All transactions undertaken by the IBC or OEC shall be in freely convertible foreign currency only.

Provided that the IBC or OEC may defray their administrative expenses in INR by maintaining a separate Special Non-Resident Rupee Account.

15. Maintenance of Accounts and Annual Report:

- (1) The IBC or OEC shall maintain such records and documents, as may be specified by the Authority.
- (2) All the books of accounts shall be maintained in such foreign currency, as may be declared at the time of making the application.
- (3) IBC or OEC shall submit an annual report giving details of the number of students admitted, programmes conducted, total fee collected, amount repatriated to Parent Entity, investment made, number of students awarded degree/ diploma/ certificate, etc.

16. Deposit and Fees:

- (1) The Authority, after considering the scale of operation of IBC or OEC, may require them to submit such deposit, in such form, as it may deem fit.
- (2) An IBC or OEC desirous of undertaking permissible activities shall pay to the Authority the following fees:
 - (i) Application Fee: US\$ 1,000 (one time)
 - (ii) Initial Registration Fee: US\$25,000(one time)
 - (iii) Annual Fee: US\$ 10,000 (Second year onwards)
 - (iv) Processing fee for application seeking relaxation: US\$10,000

17. Miscellaneous

- (1) All the obligations of the Parent Entity in its home jurisdiction for the conduct of courses or programmes in any offshore jurisdiction shall be complied with by IBC or OEC, as the case may be.
- (2) The Parent Entity shall be permitted to repatriate profit, if any, without any restriction.

18. Power to remove difficulties and relax strict enforcement of the regulations

- (1) In order to remove any difficulty in the application or interpretations of the provisions of these regulations, the Authority may issue clarifications through guidance notes or circulars.
- (2) On an application, received along with non-refundable processing fees mentioned in reg. 16 (2) (iv) above, the Authority, may for the reasons to be recorded in writing, relax the strict enforcement of any of the provisions of these regulations.

INJETI SRINIVAS, Chairman, IFSCA

[ADVT.-III/4/Exty./331/2022-23]